डीजी–परिपत्र संख्या– 19 /2019

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनाक : लखनऊः अप्रैल 24,2019

विषयः–एसिड अटैक की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि अवांछनीय तत्वों द्वारा तेजाब के प्रयोग से बच्चियों/महिलाओं को गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुँचाने की बढती प्रवृत्ति को सख्ती से नियन्त्रित करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु समय–समय पर शासन एवं इस मुख्यालय से पूर्व में पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु बार–बार ऐसी घटनायें घटित होने से प्रतीत होता है कि निर्गत निर्देशों का सम्यक रूप से कठोरता से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

शासनादेश संः–210/छः–पु–15–2016 दिनांक 14.06.16
शासनादेश संः–1716/60–3–15–13(11)/14–टीसी–2 दि0 09.10.15
शासनादेश संः–एससी–06(1)/छः–पु–9–13–31(90)/2010 दि0 16.10.13
डीजी परिपत्र सं0–13/2013 दिनांक 17.04.2013
डीजी परिपत्र सं0–20/2014 दिनांक 04.04.2014
डीजी परिपत्र सं0–52/2014 दिनांक 14.08.2014
डीजी परिपत्र सं0–20/2015 दिनांक 30.03.2015
अर्द्ध शा0पत्र सं0–डीजी–सात–एस–2ए(निर्देश)/2013 दिनांक 12.04.13
अर्द्ध शा0पत्र सं0–डीजी–सात–एस–3(253)/2011 पार्ट–2 दि0 10.05.14

आप सहमत होगें कि इस प्रकार की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं और इन घटनाओं से पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं जनसामान्य की आलोचनाओं का सामना करने के साथ ही साथ न्याय पालिका द्वारा संज्ञान लिये जाने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कराये गये हर प्राविधान के बावजूद भी पुलिस विभाग को मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे पुलिस की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के घटित अपराधों की गुणवत्तापरक विवेचना से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जा सकेगा। साथ ही अपराधियों पर दबाव बढने के कारण अपराधों पर नियन्त्रण भी होगा।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो एवं ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय निर्देश अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ दिये जा रहे हैंः–

- इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु उपलब्ध विधि व्यवस्था के अनुरूप तत्काल एफ0आई0आर0 पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाये तथा शीघ्र विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार अभियुक्त की गिरफतारी की जाए। पुलिस थानों में जब ऐसे प्रकरणों (तेजाब हमलों के घायल) में प्राथमिकी दर्ज करायी जाय तो सम्बन्धित थाना प्रभारी उप जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिनकी अधिकारिता में उक्त थाना स्थित है, को तत्काल घटना की सूचना उपलब्ध करायेगें और प्रकरण में अग्रेतर विधि सम्मत कार्यवाही करेगें, ताकि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

Scanned by CamScanner

- एसिड अटैक से पीडित को तत्काल समुचित चिकित्सा हतु मेडिकल कालेज एव अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में उपचारार्थ भर्ती कराया जाये। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आप सभी को निर्देश दिये गये हैं। **मा0 सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन (किमि0) संख्या–129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया** में दिनांक 16.04.2015 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसिड अटैक से पीड़िता को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश समस्त राजकीय व प्राइवेट अस्पतालो द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतएव एसिड अटैक पीड़िता को तत्काल इलाज किये जाने से किसी संस्था द्वारा इन्कार नही किया जा सकता है।
- घटना में संलिप्त अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये एव पंजीकृत अभियोग में गुण–दोष के आधार पर विवेचनोपरान्त तत्परता से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाये।
- इस प्रकार के अपराधों की प्रभावी पैरवी अपने निकट पर्यवेक्षण में करायें ताकि अभियुक्त को शीघ्रता से सजा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके।
- एसिड अटैक से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत निर्देशों/शासनादेश का भली–भांति अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी पुलिस कर्मियों कों इस प्रकार के घटित घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश से अवगत करा दें तथा उपबंधो से अवगत करायें।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली–2015 यथा संशोधित नियमावली–2016 के प्राविधानों के अनुसार पीडिता को तत्काल क्षतिपूर्ति दिलायी जाए। इसके अतिरिक्त पीडिता उत्तर प्रदेश पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संशोधित दिनांक 7.6.2016 क्षतिपूर्ति के लिए योग्य हैं तथा पीडिता को इस योजना का लाभ प्रदान कराया जाए।
- गृह पुलिस अनुभाग–9 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 2297/छः–पु0–9–2014–31(90)/2010टीसी–1 दिनांक 14.07.2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विष(कब्जा और विक्रय) नियमावली–2014 के नियम–3 के अनुसार इस निमित्त नवीनीकृत अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति विष (एसिड) को न विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए रखेगा। नियमावली के नियम–12 के अनुसार विष(एसिड) के कब्जे या विक्रय के लिए दी गयी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसर में संग्रह करेगा और वहॉ से विक्रय करेगा। उप निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी किसी भी समय सभी प्रकार के विषो का और नियम–15 और 16 के अधीन रखे गये रजिस्टर का परिदर्शन और निरीक्षण कर सकता है। अनुज्ञप्ति धारी द्वारा विष(एसिड) के क्रय–विक्रय और

Scanned by CamScanner

संग्रह के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस लिए यह आवश्यक है कि उक्त नियमावली का गहनता से अध्ययन आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों द्वारा कर लिया जाए। उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन विष अधिनियम–1919 की धारा–6 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। बिना अनुज्ञप्ति के विष(एसिड) का क्रय–विक्रय तथा संग्रह करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- तेजाब से हमला करने वाला अभियुक्त जब भी गिरफ्तार किया जाय उनसे इस बात की तस्दीक अवश्य कर ली जाये कि अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया तेजाब कहॉ से प्राप्त किया गया है ताकि तेजाब जहॉ से प्राप्त किया गया उस विक्रेता के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर सादे परिधानों में महिला एवं पुरूष आरक्षियों की डियूटी लगाई जाये और गश्त पैट्रोलिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये तथा जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर अभियान चला कर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने वाले अभियुक्तों पर सर्तक दृष्टि रखे ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

24.4.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner